

डिकी मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. बंशीधर सैनी पुत्र ईश्वर लाल निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 713 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम आगरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 03, 51, 63, 261 में वादीगण के गलत दर्ज नाम "बंशी, बीरबल, श्रवण पुत्रगण ईशर व धापा, सजना, सुप्यार पुत्रिया ईशर" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "बंशीधर सैनी, बीरबल सैनी, श्रवण कुमार पुत्रगण ईश्वर लाल व धापा, सजना, सुप्यार पुत्रियां ईश्वर लाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय
सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसन्त में दस्तावेजात व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 11 सन् 2025 को जारी की



दस्तावेजात.....
ओहदा.....

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. बंशीधर सैनी पुत्र ईश्वर लाल निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 713/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1354

आदेश

दिनांक-14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम आगरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 03, 51, 63, 261 में वादीगण के गलत दर्ज नाम "बंशी, बीरबल, श्रवण पुत्रगण ईशर व धापा, सजना, सुप्यार पुत्रिया ईशर" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "बंशीधर सैनी, बीरबल सैनी, श्रवण कुमार पुत्रगण ईश्वर लाल व धापा, सजना, सुप्यार पुत्रियां ईश्वर लाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना